प्रेषक,

श्री बी0के0 पटनायक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 5231/14-2-96-300(27)/1995.

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0 लखनऊ।

अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 1996.

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेणुसागर से हिण्डालको तक 132 के0वी0 ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु मे0 हिण्डालको को 52.9666 हे0 वनभूमि का 25 वर्षों के लिये लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या: 1090/11सी-87 (सोनभद्र), दिनांक: 15-3-1995 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-सोनभद्र में रेणुसागर से हिण्डालको तक 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 52.9666 हे0 वनभूमि 25 (पच्चीस) वर्षों के लिये लीज पर दिये जाने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के पत्रांक: 8-75/95-एफ0सी0, दिनांक: 17 जुलाई, 1996 द्वारा प्रदत्त सशर्त अनुमति व निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-वनभूमि लीज पर दिये जाने के बाद भी इसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वह पूर्व की भाँति वनभूमि बनी रहेगी।

(2)-मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं करेगा।

(3)-मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(4)-ट्रांसमिशन लाईन एवं टावर की न्यूनतम ऊँचाई कम से कम इतनी हो कि उससे वन्य जन्तुओं को कोई क्षति न पहुँचे।

(5)-मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा प्रश्नगत वनभूमि के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा।

(6)-मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो इसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उक्त इकाई द्वारा देय होगा।

.................2/-

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

।7।- प्रश्नगत वनभूमि मै0 हिण्डाल्को के उपयोग में पट्टा अवधि के और तब तक बनी रहेगी, जब तक कि याचक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि इकाई को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो याचक के लिये आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस हो जायेगी।

।8।- वन विभाग अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, लीज पर दिये गये भूखण्ड में प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

।9।- वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी आग ईंधन की आवश्यकता के लिये पेड़ों को हानि न पहुंचायें, इसके लिये मै0 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज उन्हें ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

।10।- वनभूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा तथा खम्भों की ऊंचाई करके इसको सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी वृक्षों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम वृक्षों को संयुक्त निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा चिन्हित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा। पातन किये जाने वाले वृक्षों का निर्धारित बाजार मूल्य इकाई से प्राप्त किया जायेगा।

।11।- मै0 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा प्रश्नगत वनभूमि का प्रीमियम 59,280.00 (रुपये उनसठ हजार दो सौ अस्सी मात्र) प्रति हेक्टेयर की दर से रुपये 31,39,860.00 (रुपये इकतीस लाख उन्तालिस हजार आठ सौ साठ मात्र) तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा।

।12।- मै0 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा पट्टाविलेख के निबंधन हेतु न्याय विभाग द्वारा निर्धारित निबंधन शुल्क की धनराशि लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-5[illegible] और सेवा फीस-01-की गयी सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही" के अंतर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख के साथ एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-8-1324/दस-1996, दिनांक: 8-10-1996 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

।पी0के0पटनायक।
विशेष सचिव।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

संख्या:5281(1)/14-2-उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त-2 (विन्ध्य वृत्त) उ0प्र0 रामनगर, वाराणसी।
5- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र।
6- महाप्रबन्धक, मे0 हिन्डालको लि0, रेनुकूट, सोनभद्र।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से,

(बी0के0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory